बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या--5 / आ0-4-1011 / 2016-- 09 पटना, दिनांक-- 03/01/18

श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत, पता-- ग्राम-- ओबरा, पुराना पी0एन0बी0 के सामने, पोस्ट--ओबरा, जिला--औरंगाबाद के विरूद्ध निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अरवल द्वारा करपी प्रखण्ड के रामपुर चाय पंचायत में घरेलू शौचालय निर्माण की जांच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न स्वयं सेवी संस्था एवं अन्य द्वारा कराये गये शौचालय निर्माण में से मात्र 115 अदद शौचालय ही जांच में निर्मित हैं एवं शेष घरेलू शौचालय अनिर्मित पाये गये। इस निर्माण कार्य के विरूद्ध कुल 6,99.310/--(छः लाख निन्यानबे हजार तीन सौ दस रूपये मात्र) रू0 के अनियमित भुगतान में सहयोग करने का प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया।

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय आदेश सं0-205 दिनांक-24.03.2017 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

3. मुख्य अभियंता (रूपा0)--सह--जांच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार, पटना के गै0स0प्रे0 सं0-198, दिनांक-16.10.2017 के द्वारा जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित आरोप को प्रमाणित बताया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक--940 दिनांक--07.11.2017 के द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद को जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के आलोक में द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। विभागीय निदेश के आलोक में श्री प्रसाद के पत्रांक-शून्य दिनांक--20.11.2017 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई एवं उनके प्रत्युत्तर को स्वीकार योग्य नही पाया गया।

4. उक्त के आलोक में श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अंतर्गत निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया--

(i) श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन की राशि से पांच प्रतिशत पेंशन की तीन वर्षों तक की कटौती।

3.1.2018

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख--सह--विशेष सचिव

Aphi order

ज्ञापांक–5/आ0–4–1011/2016— 09 पटना, दिनांक– 03/01/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 3.1.2018

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/आ0–4–1011/2016— 09 पटना, दिनांक– 03/01/2018

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई0टी0, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत, पता– ग्राम–ओबरा, पुराना पी0एन0बी0 के सामने, पोस्ट–ओबरा, जिला–औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 3.1.2018

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

Abhi order